

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 276]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 सितम्बर 2020-भाद्र 11, शक 1942

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2020

क्र.एफ 2-4-2020-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-05.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
5.32	साईनेज लायसेंस (Hoardings)	1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र के लिए 2. आयुक्त, नगर पालिक निगम या आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी - नगर पालिक निगम क्षेत्र के लिए	30 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	07 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास

5.33	गाबेज कलेक्शन एवं सिवरेज क्लीनिंग	<p>1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र के लिए</p> <p>2. आयुक्त, नगर पालिक निगम या आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी - नगर पालिक निगम क्षेत्र के लिए</p>	02 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	03 कार्य दिवस	संभाग आयुक्त
5.34	जहाँ तकनीकी रूप से साध्य हो वहाँ नवीन सीवर कनेक्शन प्रदाय किया जाना	<p>1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र के लिए</p> <p>2. आयुक्त, नगर पालिक निगम या आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी - नगर पालिक निगम क्षेत्र के लिए</p>	30 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	07 कार्य दिवस	संभाग आयुक्त
5.35	सड़क काटने की अनुमति (Road Cutting)	<p>1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र के लिए</p> <p>2. आयुक्त, नगर पालिक निगम या आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी - नगर पालिक निगम क्षेत्र के लिए</p>	30 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	07 कार्य दिवस	संभाग आयुक्त
5.36	<p>अ. सड़क काटने की अनुज्ञा के आधार पर किये गये कार्य का निरीक्षण करना</p> <p>ब. सुव्यवस्थित सड़क मरम्मत को सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन</p>	<p>1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र के लिए</p> <p>2. आयुक्त, नगर पालिक निगम या आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी - नगर पालिक निगम क्षेत्र के लिए</p>	<p>अ. सड़क काटने की अनुमति के पश्चात् 30 कार्य दिवस</p> <p>ब. सड़क मरम्मत के पश्चात् 30 कार्य दिवस</p>	जिला कलेक्टर	07 कार्य दिवस	संभाग आयुक्त

5.37	निकार्यों से खाद्य व्यवसाय हेतु लायसेंस	1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र के लिए 2. आयुक्त, नगर पालिक निगम या	30 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	07 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास
		आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी - नगर पालिक निगम क्षेत्र के लिए				
5.38	ऑडिटोरियम / लोक-मनोरंजन के स्थान हेतु लायसेंस (Licensing for Auditorium / Place of Public amusement)	1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र के लिए 2. आयुक्त, नगर पालिक निगम या आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी - नगर पालिक निगम क्षेत्र के लिए	30 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	07 कार्य दिवस	संभाग आयुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2020

क्रमांक-एफ-2-3-2020-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 05.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, खनिज साधन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएँ पदाभिहित अधिकारी (जिला खनि अधिकारी/प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा) के पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत खनिज साधन विभाग की सेवाएँ

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकार का पद नाम
1	2	3	4	5	6	7
	खनिपट्टा समेकित अनुज्ञप्ति, गैर-विशिष्ट सर्वेक्षण अनुज्ञापत्र प्रदान करना	नीलामी की प्रक्रिया हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी	15 कार्य दिवस : विभाग द्वारा परिणाम प्राप्त होने के बाद सफल आवेदक को सूचित करने के लिए	संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म	07 कार्य दिवस	सचिव, खनिज साधन विभाग
2	नए पट्टे के मामले में आशय पत्र जारी करना (पर्यावरण मंजूरी के लिए - श्रेणी बी-2- (5 एकड से कम)	जिला खनि अधिकारी	15 कार्य दिवस : वन विभाग, राजस्व विभाग ग्राम पंचायत से सैद्धांतिक सहमति की प्राप्ति के बाद	जिला कलेक्टर	07 कार्य दिवस	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म
3	मिट्टी की खुदाई भराव हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।	जिला खनि अधिकारी	03 कार्य दिवस : वन, राजस्व, खनिज साधन विभाग और संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद	जिला कलेक्टर	07 कार्य दिवस	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2020

क्रमांक-507-742-लो.से.प्र.-इकसठ-01-पी.एस.जी.-14.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार करती है, अर्थात :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को अधिसूचित किया जाना है.

क्र	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील अधिकारी की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
14.3	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	परियोजना अधिकारी	60 कार्य दिवस	जिला कार्यक्रम अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.